न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

अनवानः– राजस्व अपीलः– 1/2020 अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. 1956

अपीलान्ट

दीपक पुत्र धूंखाराम जाति पुरोहित निवासी चौरा तहसील सांचोर जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्टः–

1. सरपंच ग्राम पंचायत चौरा
2. शांता बेवा धूंखा
3. गणपत पुत्र धूंखा
   जातियान पुरोहित साकिन चौरा
4. भूमिधारी तहसीलदार सांचोर

उपस्थिति –

1. अपीलान्ट वकीलः–श्री भगवती प्रसाद बालौत
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वकीलः–श्री मदनलाल जाट

निर्णय दिनांक 16.09.2020

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत पेश की जिसका विवरण संक्षिप्त में निम्नानुसार हैं कि ग्राम चौरा पटवार हल्का चौरा में अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता धूंखा वल्द माला कौम ब्राह्मण के नाम सहखातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 699 रकबा 0.03 हैक्टर खसरा संख्या 700 रकबा 1.83 हैक्टर खसरा संख्या 722 रकबा 0.04 हैक्टर खसरा संख्या 723 रकबा 2.21 हैक्टर व खसरा संख्या 588 रकबा 0.51 हैक्टर खसरा संख्या 590 रकबा 0.91 हैक्टर खसरा संख्या 591 रकबा 1.01 हैक्टर खसरा संख्या 592 रकबा 0.53 हैक्टर खसरा संख्या 593 रकबा 0.62 हैक्टर भूमि आई हुई है। हमारे पिता धुंखा पुत्र माला के फौत होने पर उक्त आराजी का धूंखा के हम उत्तराधिकारीगण के नाम सरपंच ग्राम पंचायत चौरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 418 स्वीकृत किया गया । जिसमें मुझ अपीलान्ट का नाम दीपक होने के बावजूद उक्त नामान्तरकरण में मुझ अपीलान्ट का नाम दीपाराम लिख दिया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो एक कानूनी व वाक्याती भारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.16 17:57:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी), सांचोर

भूल है। चूंकि दीपाराम नाम का स्व0 धूंखा पुत्र माला के कोई पुत्र नहीं है तथा स्व0 धूंखा पुत्र माला की वंशावली निम्न प्रकार है:–

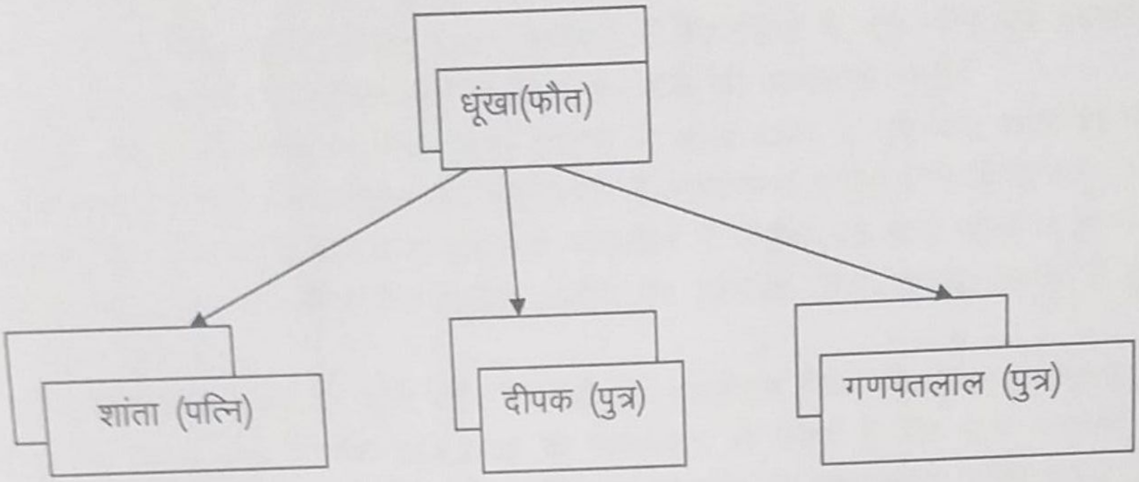

उपरोक्त वंशावली अनुसार स्व0 धूंखा के दो पुत्र क्रमशः मैं अपीलान्ट दीपक व मेरा छोटा भाई गणपतलाल है किन्तु नामान्तरकरण संख्या 418 स्वीकृत करते समय ग्राम पंचायत चौरा द्वारा मुझ अपीलान्ट का नाम दीपक पुरोहित लिखने के बजाय दीपाराम लिख दिया जो एक कानूनी एवं वाक्याती भारी भूल की है।

नामान्तरकरण संख्या 418 ग्राम पंचायत चौरा द्वारा स्वीकृत करने की जानकारी मुझ अपीलान्ट को पूर्व में नहीं थी चूंकि मैं ज्यादातर कामधंधे को लेकर महाराष्ट्र रहता हूं तथा घर का सारा कार्य मेरा छोटा भाई गणपत देखता हैं। किन्तु गणपतलाल मात्र साक्षर होने एवं कानूनी जानकारी ना होने से मेरा नाम म्यूटेशन में दीपक पुरोहित की जगह दीपाराम लिखा जाकर स्वीकृत कर दिया। इस बात की जानकारी मुझे इस साल राज्य सरकार द्वारा कई योजनाये एवं फसल मुआवजा आदि आने पर मैं महाराष्ट्र से घर आया व मुआवजा प्राप्त करने हेतु पटवार हल्का के पास गया तो हल्का पटवारी ने मेरे से आधार कार्ड व सरकारी दस्तावेजो की कॉपी मांगी तब उक्त दस्तावेज मैंने हल्का पटवारी को दिये तब हल्का पटवारी ने कहा कि आपके सरकारी दस्तावेजों में दीपक पुरोहित हैं लेकिन खातेदारी खेत में दीपाराम नाम दर्ज होने से उक्त योजनाओं का मुआवजा आपको नहीं मिल सकता हैं जिस पर मैंने दिनांक 18.6.2020 को पटवारी हल्का से उक्त खेतों की खातेदारी नकलें प्राप्त की जिससे मुझे पुख्ता जानकारी हुई तथा जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश है।

अतः म्यूटेशन अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत चौरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 418 दिनांक 23.8.2005 को विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावें तथा उपरोक्त खसरा नम्बरान में मुझ अपीलान्ट का नाम दीपक पुरोहित के नाम से नामान्तरकरण खोलने व उसे स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर इकबाली जवाब पेश किया। जवाब में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने बताया कि नामान्तरकरण संख्या 418 भरते वक्त दीपक का नाम दीपाराम लिख दिया जो गलत है। अतः इकबाली जवाब पेश कर निवेदन हैं कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर दीपाराम की जगह दीपक पुरोहित किया जावे तो हम रेस्पोडेन्ट को किसी भी प्रकार का उजर या ऐतराज नहीं है।

अपील आवेदन के साथ अपीलान्ट द्वारा नामान्तरण 418 दिनांक 23.8..2005 की नकल, जमाबन्दी 2075–2078 खाता संख्या 282 ग्राम चौरा, खाता संख्या 394 ग्राम चौरा की नकल तथा व्यक्तिगत पहचान पत्र पेन कार्ड, आधार कार्ड तथा मतदाता पहचान पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियां पेश की गई।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, जिला जालोर

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.16 17:57:29 IST
Reason: SelfAttested

अपील आवेदन के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 05 भारतीय लिमिटेशन एक्ट बाबत अपीलम्याद में शुमार में करने पेश किया गया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 418 की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी क्योंकि अपीलान्ट रोजगार के सिलसिले में राजस्थान अपने निवास से बाहर रहता है एवं फसल मुआवजे के सिलसिले में कुछ दिन पूर्व पटवारी से मिलने तथा जमाबंदी में एवं अपने पहचान पत्रों में भिन्न नाम होने की जानकारी मिली।

प्रार्थी चूंकि आजीविका के चलते अपने निवास से बाहर रहता हैं एवं यदा कदा ही घर आता हैं तथा छोटा भाई नाममात्र का साक्षर है। अतः संभव हैं नामान्तरण पारित होने के बावजूद नाम में त्रुटि जैसे छोटे बिन्दु पर ध्यान नहीं गया हो। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 5 भारतीय म्याद अधिनियम स्वीकार करने योग्य हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 418 दिनांक 23.8.2005 के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना अपीलान्ट को सुने नामान्तरण पारित किया है। ग्राम पंचायत को नामान्तरण पारित करने से पूर्व सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिये था जिसके उपरान्त ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर नामान्तरण पारित किया जाना चाहिये था। प्रस्तुत नामान्तरण में अपनाई गई प्रक्रिया का कहीं भी हवाला नहीं हैं नाही ग्राम सभा में लिये गये प्रस्ताव का उल्लेख है। अतः पारित नामान्तरण विधिक प्रक्रिया के बिना ही पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 जो अपीलान्ट के परिवार के ही सदस्य है ने भी इकबालिया जवाब पेश कर पारित नामान्तरण में नाम त्रुटिपूर्ण अंकित किया जाना स्वीकारा है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चौरा द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 418 दिनांक 23.8.2005 को निरस्त किया जाता हैं तथा तहसीलदार सांचोर को आदेश दिये जाते हैं कि धूंखा के विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः नामान्तरण पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 16.9.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

16.9.2020

(भुपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

सहायक कलेक्टर जिला जालोर

पत्रावली फैसल शुमार होकर तथा नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर, सांचोर
उपखण्ड अधिकारी सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.16 17:57:29 IST
Reason: SelfAttested